वार्षिक आम बैठक/ANNUAL GENERAL MEETING

20 जून, 2014–मणिपाल/20th June, 2014–MANIPAL

घटनाओं का महत्वपूर्ण कैलेंडर/IMPORTANT CALENDAR OF EVENTS

डाक द्वारा वार्षिक रिपोर्टों का प्रेषण Mailing of Annual Reports	21.05.2014 to 23.05.2014
प्रधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति हेतु प्रॉक्सी फार्मों और संकल्पों की प्राप्ति हेतु निर्दिष्ट अंतिम तारीख Last date of receipt of proxy forms and resolutions appointing authorized representatives	14.06.2014
बहियों का समापन (दोनों दिवस सम्मिलित) Book Closure (Both days inclusive)	13.06.2014 से/to 20.06.2014 तक
वार्षिक आम बैठक की तारीख और समय Date and time of Annual General Meeting	20.06.2014 पूर्वाह्न 11.00 बजे 20.06.2014 at 11.00 a.m.

पंजीयक एवं शेयर अंतरण एजेंट:
मेसर्स. कार्वी कम्प्यूटरशेयर (प्रा.) लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेटबैंक
प्लाट सं. 17 से 24, विट्ठलराव नगर
माधापुर, हैदराबाद 500 081
दूरभाष: 040 44655000 - विस्तार: 116
या 040 44655116 (सीधा)
फैक्स सं.: 040 23420814

Registrars & Share Transfer Agents:
M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit: SyndicateBank
Plot No. 17 to 24, Vittal Rao Nagar
Madhapur, Hyderabad 500 081
Phone No.: 040 44655000 – Extn.: 116
or 040 44655116 (D)
Fax No.: 040 23420814

सूचना

सूचना दी जाती है कि सिंडिकेट बैंक (शेयर और बैठक) विनियमावली, 1998 के विनियम 56 के अनुसार सिंडिकेट बैंक के शेयरधारकों की वार्षिक आम बैठक दि. 20 जून, 2014 को प्रातः 11.00 बजे से सिंडिकेट बैंक स्वर्ण जयंती सभाभवन, मणिपाल – 576 104 (कर्नाटक राज्य) में निम्नलिखित कारोबार का संव्यवहार करने के लिए होगी:

1. 31 मार्च, 2014 की स्थिति के अनुसार बैंक के तुलन-पत्र और उक्त तारीख को समाप्त हुए वर्ष के संबंध में लाभ व हानि लेखा, लेखे से संबंधित अवधि के दौरान बैंक के कार्यचालन और उसकी गतिविधियों पर निदेशकों के प्रतिवेदन और तुलन-पत्र तथा लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन पर चर्चा करने, उसका अनुमोदन करने और अंगीकार करने के लिए ।

2. वित्तीय वर्ष 2013-14 के लिए लाभांश की घोषणा करने के लिए।

3. विचार करने के लिए तथा यदि सही पाया जाए तो, आशोधन के साथ या बिना निम्नलिखित संकल्प को विशेष संकल्प के तौर पर पारित करने के लिए:

   ''**संकल्प किया जाता है कि,** बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (अधिनियम) के प्रावधानों के अनुसार तथा बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 (बैंकिंग अधिनियम), सिंडिकेटबैंक (शेयर एवं बैठक) विनियम, 1998 (बैंक विनियम), विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (''फेमा'') को लागू प्रावधान, भारतीय सुरक्षा एवं विनिमय बोर्ड (पंजी एवं निर्गम समिति की आवश्यकताएं) विनियम, 2009 (''आई सी डी आर विनियम''), विदेशी विनिमय प्रबंधन, (भारत से बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूतियों का अंतरण या जारी) विनियम 2000, भारत सरकार जिसे लागू नियमों, विनियमों, मार्गदर्शी सिद्धांतों, परिपत्रों, स्पष्टीकरणों के द्वारा समय-समय पर भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) द्वारा समय-समय पर संशोधित और/या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा बशर्ते विधि, नियम और विनियम के अध्यधीन (इसमें किए गए संशोधन या वर्तमान समय में पुनः लागू अधिनियमन), बैंक द्वारा उन स्टॉक विनियमों में सूचीयन करार जहाँ बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध हैं, सेबी और/या केंद्रीय सरकार के अनुमोदन, सहमति, अनुमति या संस्वीकृति जो लागू हों और अपेक्षित, भारत और भारत से बाहर अन्य संबद्ध प्राधिकरणों से अनुमोदित, सहमति, अनुमति या संस्वीकृति प्रदान करने समय उनके द्वारा शर्तों, निबंधनों और आशोधनों का उनमें से किसी के द्वारा ऐसे अनुमोदनों, सहमति, अनुमति या संस्वीकृति के लिए लगाया जाना और उससे बैंक के निदेशक मंडल द्वारा सहमत हो सकना (इसके बाद इसे ''बोर्ड'' कहा जाएगा, इस शब्द में बोर्ड द्वारा गठित कोई भी समिति शामिल है) बैंक की सहमति है और एतद्द्वारा बोर्ड को दी जाती है कि वह आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार वह अर्हताप्राप्त संस्थागत प्लेसमेंट के माध्यम से बैंक के ईक्विटी शेयरों का सृजन, ऑफर, निर्गम, आबंटन आई सी डी आर विनियमावली के अध्याय VIII में वर्णित किए गए अनुसार संख्या में अर्हता प्राप्त संस्थागत क्रेताओं को करे, भले ही, वे बैंक के शेयरधारक हों या न हों जैसा कि बोर्ड द्वारा निर्णय लिया जाए, बोर्ड ने लागू विधि एवं विनिमयों के अनुसार अपने विवेकाधिकार से ₹1500 करोड़ (एक हजार पाँच सौ करोड़ रुपये मात्र) से अनधिक कुल रकम अनुमत की है, जो ऐसे समय या समयों पर, ऐसे मूल्य या मूल्यों पर प्रीमियम सहित और ऐसे ढंग से और ऐसी शर्तों एवं निबंधनों पर जिसे बोर्ड अपने स्व-विवेकाधिकार से निर्धारित करे जिसमें यह विवेकाधिकार भी शामिल है, निवेशकों की उन श्रेणियों का निर्धारण जिन्हें ऑफर, निर्गम एवं आबंटन किया जाए, ऑफर के समय बाजार की स्थितियों और अन्य संबद्ध तत्वों को ध्यान में रखते हुए ऑफर, निर्गम एवं आबंटन के समय अन्य श्रेणियों के निवेशकों का बहिष्करण और जहाँ कहीं आवश्यक हो वहाँ अग्रणी प्रबंधक(कों) एवं/या हामीदार(रों) एवं/या अन्य सलाहकार(रों) से परामर्श करके बोर्ड अपने अनन्य विवेकाधिकार से उचित या उपयुक्त निर्णय लेगा ।''

   ''**आगे पुनः संकल्प किया जाता है कि** जारी किए जानेवाले शेयर/जारी करने के लिए प्रस्तावित शेयर, बैंक के मौजूदा ईक्विटी शेयर के बराबरी के होंगे जिनमें लाभांश शामिल हैं''

   ''**आगे पुनः संकल्प किया जाता है कि,**

   ए) ईक्विटी शेयर या ऐसी अन्य प्रतिभूतियों के मूल्य निर्धारण के संबंध में निर्णय लेने के लिए बैठक की तारीख वह तारीख होगी जिसमें बोर्ड प्रस्तावित ईक्विटी शेयर जारी करने या अन्य किसी भी समय पर या समय-समय पर आई सी डी आर विनियम के अध्यधीन अनुमति प्रदान करे;

   बी) प्रस्तावित निर्गम के अनुमोदन संबंधी इस संकल्प की तारीख से 12 महीनों के अंदर ईक्विटी शेयरों का आबंटन पूरा हो जाएगा या कोई अन्य समय जिसे आई सी डी आर विनियमावली के तहत समय-समय पर नियत किया जाए ।''

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN pursuant to Regulation 56 of the SyndicateBank (Shares & Meetings) Regulations, 1998 that an ANNUAL GENERAL MEETING of the SHAREHOLDERS of SYNDICATE BANK will be held on 20th June 2014 at 11.00 a.m. at SyndicateBank Golden Jubilee Auditorium, Manipal - 576 104 (Karnataka State) to transact the following business:

1. To discuss, approve and adopt, the Balance Sheet of the Bank as at 31st March 2014 and the Profit & Loss Account of the Bank for the year ended on that date, the Report of the Board of Directors on the working and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditors' Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To declare dividend for the Financial Year 2013-2014.

3. To consider and if thought fit, pass with or without modification the following resolution(s) as Special Resolution:

   "RESOLVED THAT pursuant to Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("the Act"), Banking Regulations Act, 1949 (Banking Act), SyndicateBank (Shares and Meetings) Regulations, 1998 (Bank's Regulations), the applicable provisions of the Foreign Exchange Management Act, 1999 ("FEMA"), the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations"), the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Securities by a Person Resident Outside India) Regulations, 2000, as amended from time to time and in accordance with applicable rules, regulations, guidelines, circulars and clarifications issued by Government of India ("GOI"), Reserve Bank of India ("RBI"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI") and/ or any other competent authorities and subject to any other applicable laws, rules and regulations (including any amendment thereto or re-enactment thereof for the time being in force), the Listing Agreements entered into by the Bank with stock exchanges where the equity shares of the Bank are listed, any approval, consent, permission or sanction of SEBI and/or Central Government as applicable and required, approvals, consents, permissions or sanctions of other concerned authorities, within or outside India, and such terms, conditions and modifications as may be prescribed by any of them while granting such approvals, consent, permissions or sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as "the Board" which term shall include any Committee constituted by the Board), consent of the Bank be and is hereby granted to the Board to create, offer, issue and allot by way of a Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of ICDR Regulations, such number of Equity Shares of the Bank to Qualified Institutional Buyers as defined under Chapter VIII of ICDR Regulations, whether they be holders of the shares of the Bank or not/Rights Issue under Chapter IV of ICDR Regulations to the existing shareholders/Follow on Public Issue, as may be decided by the Board in their discretion and permitted under the applicable laws and regulations, for an aggregate amount not exceeding ₹1500 crore (Rupees One Thousand Five Hundred Crore only) at such time or times, at such price or prices including premium in such manner and on such terms and conditions as may be deemed appropriate by the Board at its absolute discretion including the discretion to determine the categories of Investors to whom the offer, issue and allotment shall be made to the exclusion of other categories of Investors at the time of such offer, issue and allotment considering the prevailing market conditions and other relevant factors and wherever necessary in consultation with lead manager(s) and/or underwriter(s) and/ or other advisor(s) as the Board may in its absolute discretion deem fit or appropriate."

"RESOLVED FURTHER THAT the Equity Shares issued shall rank pari passu with the existing shares of the Bank including dividend."

"RESOLVED FURTHER THAT

a) the relevant date for determination of price of Equity Shares shall be the date of the meeting at which the Board decides to open the proposed issue of Equity Shares, or such other time as may be permitted under ICDR Regulations from time to time;

b) the allotment of Equity Shares shall be completed within 12 months from the date of this Resolution approving the proposed issue or such other time as may be permitted under ICDR Regulations from time to time."

   "RESOLVED FURTHER THAT for the purpose of giving effect to the above Resolutions, the Board be and is hereby

''**आगे पुन: संकल्प किया जाता है कि,** उक्त संकल्प को लागू करने के उद्देश्य हेतु बोर्ड प्राधिकृत है और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह ड्राफ्ट को अंतिम रूप प्रदान करने, उसके अनुमोदन से जुड़े सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य करे जो इसमें शामिल हैं परंतु यहीं तक सीमित नहीं है, साथ ही, अंतिम ऑफर प्रलेख (खों) जो निर्गम के फार्म और ढंग को नियत करें, इसमें निवेशकों का वह वर्ग शामिल है जिन्हें ईक्विटी शेयर निर्गमित होंगे, आबंटित किए जाएंगे जैसा कि वह अपने विवेकाधिकार से उचित समझे, अपने अनन्य विवेकाधिकार से निर्गम मूल्य, निर्गम पर प्रीमियम मूल्य का निर्धारण और शेयर के निर्गम, ऑफर एवं आबंटन से उपजे सवालों, प्रक्रियाओं, कठिनाइयों से संबंधित प्रश्नों का अपने विवेकाधिकार से समाधान करे और इसके लिए सदस्यों की सहमति या अनुमति आवश्यक नहीं होगी, दूसरे शब्दों में; यह माना जाएगा कि संकल्प के प्राधिकार के संबंध में सदस्यों की अनुमति है ।''

''**आगे पुन: संकल्प किया जाता है कि,** निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह इस कार्य हेतु लीड प्रबंधकों, विधि सलाहकारों, हामीदारों, बैंकरों, सलाहकारों, जो भी आवश्यक हों, उन्हें शामिल करें/नियुक्त करें, जो ऐसे ईक्विटी शेयरों के ऑफर के कार्य से जुडे हों, संबद्ध हों और उन्हें कमीशन, ब्रोकरेज, शुल्क आदि के रूप में पारिश्रमिक दें और ऐसी एजेंसियों के साथ करार, ज्ञापन, प्रलेखन आदि की व्यवस्था करें, निष्पादन कराएं और निर्गमित ईक्विटी शेयरों की उन स्टॉक इक्सचेंजों में लिस्टिंग कराएं जहाँ बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं ।''

''**आगे, पुन: संकल्प किया जाता है कि,** निदेशक मंडल प्राधिकृत है और एतद्द्वारा प्राधिकृत किया जाता है कि वह निदेशकों की समिति या अपने सभी अधिकारों या किसी अधिकार को प्रत्यायुक्त करें या निदेशकों की समिति/अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक/कार्यपालक निदेशक/कंपनी सचिव/बोर्ड द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को सौंपें जो उक्त संविदा को प्रभावी बना सकें और उसे प्राधिकृत किया जाता है कि वह ऐसे कार्यों, कर्तव्यों, विषयों, कर्मों को करे और कोई भी जरूरी परिवर्तन(नों) या संशोधन(नों) को करें जिसे उचित समझता है और ऐसा निर्देशन दें जो ईक्विटी शेयरों के निर्गम और आबंटन से उठनेवाले प्रश्नों और कठिनाइयों का समाधान करने की दृष्टि से आवश्यक हैं, ये शामिल हैं पर सीमित नहीं है:

i. ड्राफ्ट/अंतिम ऑफर प्रलेख का अनुमोदन एवं आवश्यकतानुसार उसे किसी प्राधिकरण या व्यक्तियों को फाइल करना;

ii. निर्गम मूल्य, आबंटन किए जानेवाले ईक्विटी शेयरों की संख्या, आबंटन का आधार और ईक्विटी शेयर के आबंटन का अनुमोदन;

iii. ईक्विटी शेयर के निर्गम के संबंध में जरूरी सुपुर्दगी और सभी आवश्यक या वांछनीय संविदाओं, करारों और अन्य प्रलेखों, विलेखों और लिखतों का निष्पादन;

iv. ऐसे बैंक खाते खोलना जो ऑफर के लिए आवश्यक हों;

v. ऐसे सभी काम, कृत्य, विषय और कार्य करना और ऐसे अन्य सभी प्रलेखों का निष्पादन करना और अपने अनन्य विवेकाधिकार से संव्यवहार के लिए आवश्यक या अपेक्षित शुल्क का भुगतान करना;

vi. समुचित प्राधिकरणों को प्रस्तुत किए जानेवाले सभी आवश्यक आवेदनों को तैयार करना और इस संबंध में सारी विनियामक फाइलिंग करना;

vii. उस स्टॉक इक्सचेंज(जों) में बैंक के ईक्विटी शेयरों की लिस्टिंग के लिए आवेदन करना जहाँ पर बैंक के ईक्विटी शेयर सूचीबद्ध किए जाते हैं ।

निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
कृते सिंडिकेट बैंक

सुधीर कुमार जैन

(सुधीर कुमार जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 21.05.2014

authorized to do all such acts, deeds, matters and things including but not limited to finalization and approval of the draft as well as final offer document(s) determining the form and manner of the issue, including the class of investors to whom the Equity Shares are to be issued and allotted, number of Equity Shares to be allotted, issue price, premium amount on issue as it may in its absolute discretion deem fit and to settle all questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the issue, offer or allotment of shares and utilization of the issue proceeds as it may in its absolute discretion deem fit without being required to seek any further consent or approval of the members or otherwise to the end and intent that the members shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of this Resolution".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to engage/appoint Lead Managers, Legal Advisors, Underwriters, Bankers, Advisors as may be necessary and all such agencies as may be involved or concerned in such offering of Equity Shares and to remunerate them by way of commission, brokerage, fees or the like and also to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc., with such agencies and to seek the listing of Equity Shares issued such on the stock exchanges where the Equity Shares of the Bank are listed".

"RESOLVED FURTHER THAT the Board be and is hereby authorized to form a Committee of Directors to delegate all or any of its powers to Committee of Directors / Chairman and Managing Director / Executive Directors / Company Secretary / other person authorized by the Board to give effect to the aforesaid Resolutions and is authorized to take such steps and to do all such acts, deed, matters and things and accept any alteration(s) or amendment(s) as they may deem fit and proper and give such directions as may be necessary to settle any question or difficulty that may arise in regard to issue and allotment of Equity Shares including but not limited to:

i. approving the draft / final offer documents and filing the same with any other authority or persons as may be required;

ii. approving the issue price, the number of Equity Shares to be allotted, the basis of allocation and allotments of Equity Shares;

iii. arranging the delivery and execution of all contracts, agreements and all other documents, deeds and instruments as may be required or desirable in connection with the issue of Equity Shares;

iv. opening such bank accounts as may be required for the offering;

v. to do all such acts, deeds, matters and things and execute all such other documents and pay all such fees, as it may, in its absolute discretion, deem necessary or desirable for the purpose of the transaction;

vi. to make all such necessary applications with the appropriate authorities and make the necessary regulatory filings in this regard;

vii. making applications for listing of the Equity Shares of the Bank on the stock exchange(s) where the equity shares of the Bank are listed.

By order of the Board of Directors
For SYNDICATE BANK

(Sudhir Kumar Jain)
Chairman & Managing Director

Place : Manipal
Date : 21.05.2014

नोट:

i. **प्रॉक्सी की नियुक्ति**

बैठक में भाग लेने एवं मतदान करने हेतु पात्र शेयरधारक सदस्य को अपने स्थान पर बैठक में भाग लेने तथा स्वयं को छोड़कर मतदान करने के लिए प्रॉक्सी नियुक्त करने का अधिकार है । प्रॉक्सी बैंक का शेयरधारक हो यह आवश्यक नहीं है।

तथापि,ऐसे नियुक्त प्रॉक्सी को बैठक में बात करने का अधिकार नहीं है। ऐसे किसी भी व्यक्ति को जो सिंडिकेटबैंक का अधिकारी या कर्मचारी हो, उसे प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त न किया जाए।

उक्त विनियमावली 70(vi) के अनुसार प्रॉक्सी के किसी लिखत का गारंटर उस बैठक में वोट देने के लिए पात्र नहीं होगा जिस लिखत से वह संबद्ध हो।

प्रॉक्सी की सूचना प्रभावी होने हेतु प्रॉक्सी फार्म वार्षिक आम बैठक प्रारंभ होने से कम से कम **चार दिन** पहले अर्थात् 14.06.2014 शनिवार को कार्य समय समाप्त होने के समय या उससे पहले बैंक के प्रधान कार्यालय, मणिपाल में अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए ।

ii. **प्राधिकृत प्रतिनिधि की नियुक्ति**

कोई भी ऐसा व्यक्ति किसी कंपनी अथवा किसी निकाय कारपोरेट, जो कि शेयरधारक है, के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में बैठक में उपस्थित होने अथवा मतदान करने का तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने विषयक संकल्प, जिस बैठक में वह पारित किया गया था उसके अध्यक्ष द्वारा सत्यापित प्रतिलिपि के रूप में प्रमाणित न हो, की प्रति सिंडिकेटबैंक, प्रधान कार्यालय, मणिपाल में, वार्षिक आम बैठक की तारीख से **चार दिन** पहले अर्थात् 14.06.2014 को कार्य समय समाप्त होने के समय या उससे पहले जमा नहीं कर देता/कर देती।

iii. **उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र**

शेयरधारक सदस्यों की सुविधा के लिए उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र इस नोटिस के साथ संलग्न है । शेयरधारकों/प्रॉक्सीधारकों/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध है कि वे उसे भरें और उसमें निर्धारित स्थान पर अपने हस्ताक्षर करें और उसे बैठक स्थल पर सौंप दें । शेयरधारक के प्रॉक्सी/प्राधिकृत प्रतिनिधि को उपस्थिति पर्ची-सह-प्रवेश पत्र पर प्रॉक्सी अथवा ''प्राधिकृत प्रतिनिधि'' जैसी भी स्थिति हो, का उल्लेख करना चाहिए ।

iv. **वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां**

शेयरधारक सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ वार्षिक आम बैठक के स्थान पर वितरित नहीं की जाएंगी इसलिए शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे वार्षिक रिपोर्ट की अपनी प्रतियाँ अपने साथ लाएँ जिसकी प्रति पंजीकृत पते पर बैंक द्वारा डाक

NOTES:

i. **APPOINTMENT OF PROXY**

A SHAREHOLDER ENTITLED TO ATTEND AND VOTE AT THE MEETING IS ENTITLED TO APPOINT A PROXY TO ATTEND AND VOTE INSTEAD OF HIMSELF/HERSELF AND SUCH A PROXY NEED NOT BE A SHAREHOLDER OF THE BANK.

However, the proxy so appointed will not have any right to speak at the meeting. No person shall be appointed as a proxy who is an officer or an employee of Syndicate Bank.

As per Regulation 70(vi), the grantor of an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the meeting to which such instrument relates.

The Proxy form, in order to be effective, must be received at Head Office, Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday 14.06.2014.

ii. **APPOINTMENT OF AN AUTHORISED REPRESENTATIVE**

No person shall be entitled to attend or vote at the meeting as a duly authorised representative of a Company or any body corporate which is a shareholder of the Bank, unless a copy of the resolution appointing him/her as a duly authorised representative, certified to be true copy by the Chairman of the meeting at which it was passed, shall have been deposited at Head Office, Manipal not less than FOUR DAYS before the date of the Annual General Meeting i.e., on or before the closing hours of the Bank on Saturday 14.06.2014.

iii. **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS**

For the convenience of the shareholders, Attendance Slip-cum-Entry Pass is annexed to this notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures at the space provided therein and surrender the same at the venue. Proxy/Authorised Representative of shareholder should state on the Attendance Slip-cum-Entry Pass as "Proxy" or "Authorised Representative" as the case may be..

iv. **COPIES OF ANNUAL REPORT**

Shareholder Members are advised that copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Annual General Meeting and hence, the Members are requested to bring their copies of the Annual Report, which are mailed by the Bank to them at the registered addresses. Additionally, the

भेजी दी गयी है । इसके अलावा, वार्षिक रिपोर्ट बैंक की वेबसाइट www.syndicatebank.in. पर भी प्रदर्शित है ।

v. **लेखा विषयक सूचना**

शेयरधारक यदि खाते के संबंध में कोई जानकारी चाहते हैं तो उनसे अनुरोध है कि बैंक को लिखें और उनके द्वारा माँगी गई जानकारी बैंक को कम से कम वार्षिक आम बैठक से एक सप्ताह पहले मिल जानी चाहिए ताकि प्रबंधक वर्ग सूचना तैयार करके रख सके। वार्षिक आम बैठक के समय उसके जवाब दिए जायेंगे ।

vi. **बही बंदी**

वार्षिक आम बैठक के सिलसिले में और अंतिम लाभांश 2013-14 की पात्रता निर्धारित करने के लिए शेयरधारकों की पंजी और बैंक की शेयर अंतरण पंजी शुक्रवार, 13 जून, 2014 से शुक्रवार, 20 जून, 2014 तक (दोनों दिन शामिल हैं) बंद रहेंगी।

vii. **लाभांश वारंटों में बैंक खाते का विवरण/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की सुविधा (एन ई एफ टी)/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस की सुविधा (एन ई सी एस):**

जहाँ कहीं भी संभव है, बैंक लाभांश की राशि को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एन ई एफ टी)/नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस की सुविधा द्वारा शेयरधारकों के बैंक खातों में जमा करेगा। शेयरों को इलेक्ट्रॉनिक फार्म में रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे अपने नवीनतम परिवर्तित पता और बैंक अधिदेश संबंधी जरूरी विवरणों के संबंध में अपने **डिपॉजिटरी सहभागी** को शीघ्र सूचना दें **(नया खाता सं. यदि कोई हो, बैंक का एम आई सी आर और आई एफ एस कोड सं. सहित)** ताकि एन ई एफ टी/एन ई सी एस द्वारा लाभांश राशि को सीधे जमा किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। **शेयरों को डीमैट फार्म में रखनेवाले शेयरधाक इस संबंध में जरूरी कार्रवाई हेतु केवल अपने डिपॉजिटरी सहभागी से संपर्क करें।**

शेयरों को कागजी रूप में रखनेवाले शेयरधारक अपने बैंक अधिदेश विवरणों को 12 जून 2014 को या उससे पहले बैंक के निवेशक सेवा कक्ष या नीचे पैरा (xvi) में दिए गए पते पर बैंक के शेयर ट्रांसफर एजेन्ट को प्रस्तुत/अद्यतन करें।

बैंक लाभांश वारंट केवल उसी स्थिति में जारी करेगा जब इलेक्ट्रॉनिक फार्म में भुगतान करने हेतु जरूरी सूचना उपलब्ध न हो या भुगतान अनुदेश निरस्त हो गया हो या बैंकर्स द्वारा रद्द कर दिया गया हो। ऐसे मामलें में, उन लाभांश वारंटों पर बैंक अनिवार्य रूप से निवेशकों की खाता संबंधी विवरणी को मुद्रित करेगा। बैंक का ब्यौरा उपलब्ध न

Annual Report has been hosted on Bank's website www.syndicatebank.in.

v. **INFORMATION ON THE ACCOUNTS**

Shareholders seeking any information on the Accounts are requested to write to the Bank, which should reach the Bank atleast one week before the date of the Annual General Meeting to enable the Management to keep the information ready. Replies will be provided only at the Annual General Meeting.

vi. **BOOK CLOSURE**

The Register of Shareholders and the Share Transfer Register of the Bank will remain closed from Friday, the 13th June 2014 to Friday, the 20th June 2014 (both days inclusive), for the purpose of Annual General Meeting and for ascertaining the entitlement of dividend 2013-2014.

vii. **DETAILS OF BANK ACCOUNT IN DIVIDEND WARRANTS/ NATIONAL ELECTRONIC FUNDS TRANSFER FACILITY (NEFT) / NATIONAL ELECTRONIC CLEARING SERVICE FACILITY (NECS)**

The Bank will credit the dividend amount to the bank accounts of the shareholders through National Electronic Funds Transfer (NEFT) / National Electronic Clearing Service (NECS) facility, wherever possible. The shareholders, who are holding the shares in electronic form, are, therefore, requested to inform their **Depository Participants** about their latest change of address and bank mandate details **(including new account number, if any, bank's MICR and IFS Code Numbers)** immediately to ensure prompt crediting of the dividend amounts through NEFT/NECS. **The shareholders who are holding the shares in demat form may approach their DEPOSITORY PARTICIPANTS ONLY for necessary action in this connection.**

The Shareholders who are holding their shares in physical form should furnish/update their Bank Mandate details to the Investor Services Cell of the Bank or to the Share Transfer Agent of the Bank at the address given in Para (xvi) below on or before 12th June 2014.

The Bank will issue dividend warrants only if the required mandate for making payment in electronic form is not available or payment instructions have failed or have been rejected by the Bankers. In such cases, the Bank will mandatorily print the bank account details of the investors on such dividend warrants. In case no bank details are available,

होने की स्थिति में बैंक के लिए शेयरधारकों को लाभांश वारंट भेज पाना संभव नहीं हो सकेगा।

ई सी एस अधिदेश का प्रफोर्मा संलग्न है।

viii अंतरण

अंतरण विलेख के साथ शेयर प्रमाणपत्र अंतरण हेतु रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को भेजे जाने चाहिए। मई 2009 से सेबी ने शेयरों के अंतरण के प्रस्तुतीकरण के समय अंतरिती द्वारा पैन कार्ड के ब्यौरे (पैन कार्ड की अनुप्रमाणित प्रति) प्रस्तुत करना अनिवार्य कर दिया है ।

ix. पते में परिवर्तन

ए) **कागज़ी फॉर्म में शेयर रखना**

कागज़ी फॉर्म में शेयर रखनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि अपना पंजीकृत पता, लाभांश अध्यादेश और बैंक, शाखा और बैंक खाता संख्या इत्यादि में परिवर्तन, यदि कोई हो, तो बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर सूचित करें:

मेसर्स कार्वी कंप्यूटर शेयर (प्राइवेट) लिमिटेड
यूनिट: सिंडिकेटबैंक
प्लाट सं. 17 से 24
विट्ठलराव नगर, माधापुर
हैदराबाद – 500 081
दूरभाष सं.: 040 – 23420818
फैक्स सं. 040 23420814

पते में परिवर्तन के लिए अनुरोध निर्धारित फार्मेट में पैन कार्ड की स्व-प्रमाणित प्रति और पते का सबूत जैसे, दूरभाष बिल, पासपोर्ट, मतदाता पहचान पत्र, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेन्स इत्यादि की अनुप्रमाणित प्रति के साथ प्रस्तुत किया जाए। पते में परिवर्तन का फार्मेट वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

बी) **इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर रखना**

इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म अर्थात् डी-मैट खाते में शेयर रखनेवाले हिताधिकारी स्वामी के मामले में बैंक केवल उनके डिपॉजिटरी सहभागी (डी.पी.) के पास उपलब्ध ब्यौरे जैसे, पता, लाभांश अधिदेश और बैंक, शाखा, बैंक खाता संख्या इत्यादि को ही गणना में लेगा ।

इसलिए हिताधिकारी स्वामियों से यह सुनिश्चित करने हेतु अनुरोध किया जाता है कि वे अपने डिपॉजिटरी सहभागी के पास अपना पता, बैंक संबंधी विवरण इत्यादि को विधिवत अपलोड करवाएं ताकि वे तत्संबंधी संसूचना, वार्षिक रिपोर्ट, लाभांश इत्यादि को ठीक समय पर प्राप्त कर सकें ।

the Bank may be constrained not to dispatch the dividend warrants to the shareholders.

A proforma of ECS Mandate is enclosed.

viii. TRANSFERS

Share Certificates along with share transfer deeds should be forwarded to the Registrar and Share Transfer Agent for effecting transfer. Since May 2009, the SEBI has made submission of PAN Card details (attested copies of PAN Card) mandatory by the Transferee(s) at the time of submission for transfer of shares.

ix. CHANGE OF ADDRESS

a) *HOLDING OF SHARES IN PHYSICAL FORMS*

Shareholders' holding shares in physical form are requested to intimate changes, if any, in their registered address, dividend mandate and the particulars of the Bank, Branch and Bank account number, etc., to the Registrar and Share Transfer Agent of the Bank at the following address:

M/s Karvy Computershare (P) Ltd.
Unit: SyndicateBank
Plot No. 17 to 24,
Vittal Rao Nagar, Madhapur
HYDERABAD – 500 081
Phone No.: 040 23420818
Fax No.: 040 23420814

Request for change of address should be submitted in the prescribed format alongwith self attested copies of PAN Card and address proof, such as attested copies of Telephone Bill, Passport, Voter ID Card, Ration Card, Driving License, Aadhar Card, Electricity bill etc. Change of address format is enclosed to the Annual Report.

b) *HOLDING OF SHARES IN ELECTRONIC FORM*

In case of Beneficial owners holding shares in Electronic Form i.e. through a Demat account, the Bank will take into consideration only the details like address, dividend mandate and the particulars of the Bank, Branch and Bank account number etc., available with their Depository Participant (DP).

BENEFICIAL OWNERS ARE, THEREFORE, REQUESTED TO ENSURE THAT THE ADDRESS, BANK DETAILS, ETC., ARE DULY UPLOADED WITH THEIR DEPOSITORY PARTICIPANTS SO THAT THEY MAY RECEIVE THE COMMUNICATION, ANNUAL REPORTS, DIVIDEND ETC., IN TIME.

x. **बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में (डीमैट) अनिवार्य शेयर व्यापार**

भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा दिए गए दिशा निदेशों के अनुसरण में सभी निवेशकों के लिए हमारे बैंक के शेयरों का बेकागज़ी रूप में व्यापार 26 जून, 2000 से अनिवार्य कर दिया गया है।

बैंक ने नेशनल सेक्यूरिटीज़ डिपोज़िटरी लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) और सेंट्रल डिपोज़िटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सी.डी.एस.एल.) से बैंक के शेयरों के बेकागज़ीकरण के लिए निर्गमकर्ता कंपनी के रूप में करार किया है।

बेकागज़ीकरण संबंधी अनुरोध संबंधित डिपोज़िटरी सहभागी के माध्यम से हमारे रजिस्ट्रार और शेयर ट्रॉन्सफर एजेन्ट को भेजे जाएं।

xi. **बैंक द्वारा प्रदान की जानेवाली डी.पी. सेवाएं**

हमारा बैंक निम्नलिखित डी.पी. सेवाएँ प्रदान करता है:

1. बेकागजीकरण
2. पुन: कागजीकरण
3. प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखना
4. सुपुर्दगी द्वारा व्यापार का निपटान–ऑन मार्केट, ऑफ मार्केट और इंटर डिपोजिटरी ।
5. प्रतिभूतियों की गिरवी/गिरवी मुक्त करना
6. डीमैट खातों को जब्त करना/मुक्त करना

डी.पी. सेवाएं युक्त शाखाओं के ब्यौरे हमारे बैंक के वेबसाइट www.syndicatebank.in पर उपलब्ध हैं ।

xii. **फोलियो का समेकन**

एक ही नाम पर तथा उसी क्रम में विभिन्न फोलियों में शेयरधारण करनेवाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे ऐसे शेयर धारण के ब्यौरे शेयर अंतरण एजेंटों को प्रस्तुत करें ताकि वे उन शेयरधारित राशि को एक ही शेयरधारित राशि के अंतर्गत समेकित कर सकें। इससे बैंक, शेयरधारकों को और अधिक कारगर ढंग से सेवा दे पायेगा।

xiii. **निवेशक संपर्क केन्द्र**

शेयरधारकों को शीघ्र और दक्षतापूर्ण सेवा उपलब्ध कराने के लिए सिंडिकेटबैंक ने अपने कॉरपोरेट कार्यालय, बेंगलूर में निवेशक संपर्क केन्द्र खोला है। शेयरधारक और निवेशक किसी भी सहायता के लिए इस केन्द्र से निम्नलिखित पते पर संपर्क कर सकते हैं:

कंपनी सचिव
निवेशक संपर्क केन्द्र
सिंडिकेटबैंक, कॉरपोरेट कार्यालय
2 क्रॉस, गांधीनगर, बेंगलूरु – 560 009 (कर्नाटक)
दूरभाष: 080 - 22283030 फैक्स: 080 - 22283030
ईमेल: inrc@syndicatebank.co.in (सामान्य)
निवेशक की शिकायत : syndinvest@syndicatebank.co.in

x. **COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALISED (DEMAT) FORM**

Pursuant to the directive given by SEBI, trading of our Bank Shares in Dematerialized form has been made compulsory for all investors with effect from June 26, 2000.

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer company for dematerialization of Bank's shares.

Request for dematerialization may be sent through respective Depository Participants to our Registrars and Share Transfer Agents.

xi. **DP SERVICES OFFERED BY THE BANK**

Our Bank provides following DP Services:

1. Dematerialization.
2. Rematerialisation.
3. Holding of securities in electronic form.
4. Settlement of trades by delivery - On market, off market and Inter-depository.
5. Pledge/Unpledge of securities.
6. Freezing/unfreezing of Demat Accounts.

Details of branches enabled for DP Services are available in our Bank's Website www.syndicatebank.in

xii. **CONSOLIDATION OF FOLIOS**

Shareholders holding shares in various folios with identical names and in same order are requested to furnish details of such holding to the Share Transfer Agents, to enable them to consolidate those holdings into a single holding. This will facilitate the Bank to service the shareholders more effectively.

xiii. **INVESTOR RELATIONS CENTRE**

In order to facilitate quick and efficient service to the shareholders, Syndicate Bank has set up an Investor Relations Centre at its Corporate Office, Bengaluru. Shareholders may contact this Centre at the under mentioned address for any assistance:

The Company Secretary
Investor Relations Centre
SyndicateBank - Corporate Office
2nd Cross, Gandhinagar
Bengaluru - 560 009 (Karnataka)
Tel: 080 - 22283030, Fax - 080 - 22283030
E-mail: inrc@syndicatebank.co.in (General)
Investor Grievances: syndinvest@syndicatebank.co.in

मद संख्या (3) का व्याख्यात्मक कथन

अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यू आई पी/अधिकार निर्गम) द्वारा जारी पूंजी

निरंतर बदलते हुए कारोबारी परिदृश्य में बढ़ते हुए कारोबारी स्तर के प्रबंधन के साथ-साथ बासेल-III मानदंडों का अनुपालन करने और खासकर उनके कार्यान्वयन हेतु बैंक को अतिरिक्त पूंजी की तत्काल आवश्यकता है ।

उसके अतिरिक्त, भारतीय रिज़र्व बैंक ने नए निर्देश जारी करके आस्तियों की विभिन्न श्रेणियों के जोखिम भार में पर्याप्त वृद्धि की है । यद्यपि बैंक के पास 31 मार्च 2013 और 31 मार्च 2014 के अंत में पर्याप्त सी आर ए आर क्रमश: 12.59% और 12.01% था, फिर भी, वर्तमान वर्ष के साथ-साथ आने वाले वर्षों के दौरान इसके कारोबार में वृद्धि के लिए खासकर टियर-I पूंजी के लिए और अधिक पूंजी की जरूरत है ।

कई उपलब्ध विकल्पों का मूल्यांकन करने के साथ-साथ भारतीय रिज़र्व बैंक के निर्देशों से संबंधित पत्रांक डी बी ओ डी, सं. बी पी बी सी. 42/21.01.002/2007-08 दिनांक 29.10.2007 में बैंकों को विभिन्न प्रकार के टियर-I और टियर-II साधनों के द्वारा अपनी पूंजी को बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश हेतु अनुमति दी गई है, को ध्यान में रखकर, बैंक ने अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यू आई पी) के माध्यम से एक या एक से अधिक भागों में ईक्विटी शेयर जारी करके ₹1500 करोड़ (एक हजार पाँच सौ करोड़ रुपये मात्र) तक पूंजी बढ़ाने के लिए पूंजी बाजार में प्रवेश करने की योजना बनाई है और उसके नियम एवं शर्तें वही होंगी जो बैंक के सर्वोत्तम हित में हों।

ईक्विटी शेयर को जारी करने से संबंधित सूचना में विशेष संकल्प प्रस्तावित किया गया जैसा कि भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी करने एवं प्रकटीकरण जरूरतें) विनियम, 2009 (''आई सी डी आर विनियम'') के अध्याय VIII के अंतर्गत ₹1500 करोड़ (एक हज़ार पांच सौ करोड़ रुपये मात्र) तक के अर्हताप्राप्त संस्थागत खरीददार के लिए दिया गया है ।

चूँकि, बैंक के ईक्विटी शेयरों को सूचीकरण करार के खंड 23 के अनुसार बाजार में सूचीबद्ध किए गए हैं, अत: यह आवश्यक है कि किसी भी आगे की प्रतिभूति के ईश्यू को शेयरधारकों से अनुमोदित करा लिया जाए यदि आनुपातिक आधार पर उन्हें प्रस्तावित न किया गया हो।

यह नोट किया जाए कि शेयरधारकों के अनुमोदन के अतिरिक्त, अर्हताप्राप्त संस्थागत स्थानन (क्यू आई पी) के माध्यम से जारी ईक्विटी शेयर सांविधिक, विनियामक या इस संबंध में लागू अन्य निर्देशों के अनुपालन के अधीन होंगे ।

ईक्विटी शेयर को जारी करने के विस्तृत नियम एवं शर्तें वर्तमान बाजार की स्थिति पर विचार करते हुए व्यापारी बैंकों, अग्रणी प्रबंधकों, सलाहकारों और ऐसे अन्य प्राधिकारियों जो बैंक द्वारा विचारणीय

EXPLANATORY STATEMENT TO ITEM NO.(3)

Capital Issue by Qualified Institutional Placement (QIP)

To cater to its increasingly growing business level in the continually changing business scenario as well as to comply with the Basel-III norms, the bank needs additional capital immediately, particularly for implementation of Basel-III norms.

Besides, the recent guidelines issued by Reserve bank of India have prescribed substantial increase in the risk weights on various categories of assets. Though the Bank had comfortable CRAR at 12.59% and 12.01% as at the end of 31st March, 2013 and 31st March, 2014 respectively, its business growth during the current year as well as that for the coming years calls for higher capital particular Tier-I capital.

After evaluating the various available alternatives as well as taking into consideration the Reserve Bank of India's guidelines bearing Reference No.DBOD.No.BP. BC.42/21.01.002/2007-08 dated 29.10.2007 permitting the Banks to access capital market for their raising capital through different types of Tier-I and Tier-II instruments, the Bank has planned to access capital market for raising capital upto the extent of ₹1500 crore (Rupees one thousand five hundred crore only) by issuing equity shares by way of Qualified Institutional Placement (QIP) in one or more tranches and subject to terms and conditions as may be felt to be in the best interest of the Bank.

The Special Resolution proposed in the Notice relates to the issue of equity shares as Qualified Institutional Placement under Chapter VIII of the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 ("ICDR Regulations") to Qualified Institutional Buyers for an amount not exceeding ₹1500 crore (Rupees one thousand five hundred crore only).

As the equity shares of the Bank are listed with the stock Exchanges pursuant to Clause 23 of the Listing Agreement, it is necessary for the shareholders to approve issue of any further security if not offered to them on a proportionate basis.

It may be noted that apart from the approval of the shareholders, the issue of equity shares by way of Qualified Institutional Placement (QIP) would be subject to compliance of all statutory, regulatory or any other applicable guidelines in this regard.

The detailed terms and conditions for the issuance of the Equity Shares as and when made will be determined by the Board in consultation with the Merchant Bankers, Lead Managers, Advisors and such other authorities as may

हों, के साथ विचार-विमर्श करके बोर्ड द्वारा निर्धारित की जाएंगी । ईक्विटी शेयर एक से अधिक भाग में, उपयुक्त समय या समयों पर, उपयुक्त मूल्य या मूल्यों पर और उपयुक्त निवेशकर्ता को जारी करने हेतु बोर्ड के विवेकानुसार से जो सही हो, ऐसा करने हेतु बोर्ड को अधिकार देने के लिए विशेष संकल्प लिया जाए ।

नोटिस में वर्णित विशेष संकल्प के लिए आपके अनुमोदन को निदेशक मंडल संस्तुत करते हैं ।

बैंक के किसी भी निदेशक की विशेष संकल्प में संबद्धता या रुचि नहीं है ।

इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा मतदान

कंपनी नियम 2014 (प्रबंधन और प्रशासन) के नियम 20 के साथ पढ़े गये (कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 108) सूचीकरण करार के खंड 35 बी के अनुसार बैंक के सदस्यों को वार्षिक आम बैठक (ए जी एम) में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से मतदान करने की सुविधा प्रदान करना अनिवार्य है ।

बैंक के सदस्य, बैठक की सूचना में निहित इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली के मध्यम से व्यवसाय के सभी मदों का कारबार कर सकते हैं ।

कंपनी सचिव के रूप में कार्यरत फर्म मेसर्स अनंतसुब्रमणियन एण्ड कंपनी के श्री एस. एन. अनंतसुब्रमणियन या उनकी अनुपस्थिति में सुश्री मालती कुमार या उनकी अनुपस्थिति में सुश्री अपर्णा गाडगिल को कंपनी द्वारा एक संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है जो कि बोर्ड की राय में सही एवं योग्य व्यक्ति हैं जो इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी रूप में संपन्न करवा सकते हैं । संवीक्षक ई-मतदान अवधि की समाप्ति की तिथि से 3 कार्य दिवसों के भीतर मतदान की रिपोर्ट बैंक के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को प्रस्तुत करेगें कि मतदान समर्थन में हुआ या विरोध में । इसका परिणाम वार्षिक आम सभा की कार्यवाहियों में जाहिर किया जाएगा ।

अभिलेख तिथि (निर्दिष्ट दिनांक)

बैंक ने ई-मतदान की प्रक्रिया में भाग लेने के लिए पात्र शेयरधारकों के मतदान के हक को निर्धारित करने के लिए शुक्रवार, 16 मई 2014 को अभिलेख दिनांक (निर्दिष्ट दिनांक) के रूप में निश्चित किया है ।

ई-मतदान के लिए अनुदेश

1. ई-मतदान के लिए निम्नांकित यू आर एल का प्रयोग करें: कार्वी वेबसाइट: http://evoting.karvy.com
2. अभिलेख दिनांक पर भौतिक रूप में या डिमैट रूप में शेयर रखनेवाले कंपनी के शेयरधारक अपना मतदान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कर सकते हैं ।
3. लॉगिन क्रेडेंशियल की प्रविष्टि करें (अर्थात वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित यूज़र आई डी और पासवर्ड) आपकी फोलियो सं./डीपी आईडी/ग्राहक आईडी ही आपकी यूज़र आईडी होगी ।
4. ब्यौरों को समुचित रूप से प्रविष्ट करने के बाद लॉगिन पर क्लिक करें ।

require to be considered by the Bank considering the prevailing market conditions and other relevant factors. The Special Resolution seeks to give the Board powers to issue Equity Shares in one or more tranches at such time or times, at such price or prices, and to such of the Investors as are mentioned therein as the Board in its absolute discretion deems fit.

The Board of Directors recommends for your approval the Special Resolution mentioned in the Notice.

None of the Directors of the Bank are concerned or interested in the Special Resolution.

VOTING THROUGH ELECTRONIC MEANS

Pursuant to Clause 35 B of the Listing Agreement (Section 108 of Companies Act, 2013) read with Rule 20 of Companies (Management and Administration) Rules, 2014, it is mandatory to extend to the Members of the Bank, the facility to vote at the AGM by electronic means.

Members of the Bank can transact all the items of the business through electronic voting system as contained in the Notice of the Meeting.

The Bank has appointed Mr. S N Anantasubramanian or failing him, Ms. Malati Kumar or failing her, Ms. Aparna Gadgil of M/s S N Ananthasubramanian and Co, firm of Practicing Company Secretaries, who in the opinion of the Board is a duly qualified person, as a Scrutinizer who will collate the electronic voting process in a fair and transparent manner. The Scrutinizer shall within a period of three working days from the date of conclusion of e-voting period, submit his report of the votes cast in favour or against, if any, to the Chairman and Managing Director of the Bank. The result of the same will be disclosed at the AGM proceedings.

RECORD DATE (CUT-OFF DATE)

Bank has fixed Friday, the 16th May 2014 as the record date (Cut-off date) for determining voting rights of shareholders entitled to participating in the e-voting process.

INSTRUCTION FOR E-VOTING

1. To use the following URL for e-voting: Karvy website: http://evoting.karvy.com
2. Shareholders of the Bank holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the record date, may cast their vote electronically.
3. Enter the login credentials [i.e., user id and password mentioned in the Notice of the AGM]. Your Folio No./ DP ID Client ID will be your user ID.
4. After entering the details appropriately, click on LOGIN.

5. आप पासवर्ड परिवर्तन मेनु में जाकर आपको अनिवार्य रूप से अपने पासवर्ड का परिवर्तन करना पड़ेगा । नया पासवर्ड नयूनतम 8 कैरेक्टर का होगा जिसमें कम से कम एक अपर केस (A-Z), एक लोअर केस (e-z), एक संख्यात्मक (0-9) और एक विशेष केरेक्टर होंगे । सिस्टम आपको प्रथम लॉगिन में अपने पासवर्ड को बदलने और मोबाइल, ई-मेल आदि संपर्क ब्यौरों को अद्यतन बनाने का सुझाव देगा। यदि आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो अपनी पसंद का गुप्त सवाल और जवाब की प्रविष्टि कर अपने पासवर्ड का पता लगा सकते हैं। अपने पासवर्ड को किसी अन्य व्यक्ति को न दें और उसे गोपनीय रखने में अत्यधिक सावधानी बरतें ।
6. आपको नए क्रेडेंशियल (यूज़र आईडी-पासवर्ड) के साथ फिर से लॉगिन करना पड़ेगा ।
7. सफलतापूर्वक लॉगिन होने पर सिस्टम आपको ईवेंट अर्थात सिंडिकेट बैंक का चयन करने का सुझाव देगा ।
8. मतदान के पृष्ठ पर पक्ष/विरूद्ध के अंतर्गत निर्दिष्ट दिनांक पर शेयरों की संख्या को प्रविष्टि करें या वैकल्पिक रूप से किसी भी संख्या को अंशत: के पक्ष में और अंशत: के विरोध में प्रविष्टि कर सकते हैं । परंतु पक्ष/विरूद्ध की कुल संख्या का योग, कुल शेयरधारण से अधिक नहीं होना चाहिए । आप 'अलग रहना' (अबस्टैन) विकल्प का चयन भी कर सकते हैं ।
9. अनेक फोलियो/डीमेट खाते को रखनेवाले शेयरधारक हर फोलियो/डीमेट खाते केलिए मतदान की प्रक्रिया का चयन अलग-अलग करें।
10. एक समुचित विकल्प का चयन करने के द्वारा अपना मतदान करें और 'सबमिट' पर क्लिक करें । इसकी पुष्टि करनेवाला 'बॉक्स' दिखाई देगा । पुष्टि करने के लिए 'ओ के' पर क्लिक करें अन्यथा आशोधित करने के लिए 'कैनसल' पर क्लिक करें । एक बार पुष्टि करने पर आपको अपने मत को आशोधित करने की अनुमति नहीं होगी । शेयरधारक मतदान की अवधि के दौरान संकल्प पर उनके मतदान होने तक कई बार लॉगिन कर सकते हैं ।
11. शेयरधारक द्वारा संकल्प पर एक बार मतदान किए जाने के बाद उसे बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी ।
12. मतदान के लिए 15 जून 2014 के पूर्वाह्न 9 बजे से 17 जून 2014 के अपराह्न 6 बजे तक पोर्टल खुला रहेगा ।
13. किसी भी प्रकार की अन्य पूछताछ के लिए http://evoting.karvy.com के डाउनलोड भाग पर उपलब्ध शेयरधारकों द्वारा बार-बार पूछे गए प्रश्न (एफ ए क्यू) और शेयरधारकों के लिए ई-वोटिंग यूजर मैनुवल का संदर्भ लें या दूरभाष संख्या 1800 345 4001 (शुल्क रहित) पर कार्वी कंप्यूटर शेयर प्राइवेट लिमिटेड से संपर्क करें।

अध्यक्ष का वक्तव्य, निदेशकों की रिपोर्ट तथा लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण (एकल एवं समेकित दोनों) युक्त वार्षिक रिपोर्ट बुक पोस्ट/ अपंजीकृत पार्सल/ई-मेल द्वारा भेजी जा रही है ।

निदेशक मंडल के आदेशानुसार
कृते सिंडिकेटबैंक

सुधीर कुमार जैन

(सुधीर कुमार जैन)
अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक

स्थान : मणिपाल
दिनांक : 21.05.2014

5. You will reach the Password change menu wherein you are required to mandatorily change your password. The new password shall comprise of minimum 8 characters with at least one upper case (A-Z), one lower case (e-z), one numeric value (0-9) and a special character. The system will prompt you to change your password and update any contact details like mobile, email etc. on first login. You may also enter the secret question and answer of your choice to retrieve your password in case you forget it. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.
6. You need to login again with the new credentials.
7. On successful login, the system will prompt you to select the EVENT i.e., Syndicate Bank
8. On the voting page, enter the number of shares as on the cut off date under FOR/AGAINST or alternately you may enter partially any number in FOR and partially in AGAINST but the total number in FOR/AGAINST taken together should not exceed the total shareholding. You may also choose the option ABSTAIN.
9. Shareholders holding multiple folios / demat account shall choose the voting process separately for each folios / demat account.
10. Cast your vote by selecting an appropriate option and click on SUBMIT. A confirmation box will be displayed. Click OK to confirm else CANCEL to modify. Once you confirm, you will not be allowed to modify your vote. During the voting period, shareholders can login any number of times till they have voted on the resolution.
11. Once the vote on the resolution is cast by the shareholder, he shall not be allowed to change it subsequently.
12. The Portal will be open for voting from : 9 a.m. on 15th June, 2014 to 6 p.m. on 17th June 2014.
13. In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for shareholders and e-voting User Manual for shareholders available at the download section of http://evoting.karvy.com or contact Karvy Computershare Pvt. Ltd. at Tel No. 1800 345 4001 (toll free).

Annual Report Containing Chairman's Speech, Directors Report and Audited financial statements (both solo and consolidated) are being sent by Book Post/Unregistered Parcel/Email.

By order of the Board of Directors
For SYNDICATE BANK

(Sudhir Kumar Jain)
Chairman & Managing Director

Place : Manipal
Date : 21.05.2014